अपील सूचना अधिकार संख्या 05/2023(GCMS 2023/5) प्रेम सागर पुत्र मेघाराम निवासी वार्ड नं. 43, म.नं. 28, बाबा दीप सिंह कॉलोनी (पूजा कॉलोनी), श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 84373–02069) बनाम [illegible] जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर–राजस्व शाखा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

15.03.2023

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रेम सागर स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी का सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी प्रेम सागर ने कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2022 एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति अधिरोपित करने एवं वांछित सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी प्रेमसागर ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.10.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> प्रार्थी ने दिनांक 10.04.2008 को जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था, जिसकी फोटो प्रति संलग्न है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर आज तक जो भी कार्यवाही की गई है, उसकी सूचना प्रमाणित प्रतिया उपलब्ध करवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:49 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी एवं प्र[illegible]धिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक [illegible]/2022/1269 दिनांक 13.03.2023 से अपील का जवाब निम्नानुसार [illegible]षित किया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख हे कि आवेदनकर्त्ता प्रेम सागर पुत्र श्री मघाराम जाति कुम्हार वार्ड नम्बर 43, मकान नंम्बर 28, बाबा दीप सिंह कॉलोनी (पूजा कॉलोनी), श्रीगंगानगर द्वारा दिनांक 04.04.2008 के प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति चाही है।

आवेदनकर्त्ता द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध करवाने हेतु उनका आवेदन पत्र इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5505 दिनांक 04.11.2022 से धारा 6(3) के तहत तहसीलदार (राजस्व) श्रीविजयनगर को हस्तान्तरित कर दिया गया था। तहसीलदार, श्रीविजयनगर द्वारा उनके पत्र क्रमांक 988 दिनांक 08.12.2022 से प्रार्थी को सूचित कर दिया गया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। अतः उनका आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है।

इस कार्यालय द्वारा भी आवेदकर्त्ता प्रेम सागर पुत्र श्री मघाराम जाति कुम्हार वार्ड नम्बर 43 मकान नम्बर 28, बाबा दीप सिंह कॉलानी (पूजा कॉलोनी) श्रीगंगानगर को लिखा गया था कि यदि उनके पास प्रार्थना पत्र दिनांक 10.04.2008 के सम्बन्ध में कोई प्राप्ति रसीद हो तो उपलब्ध करावें। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा जिस आवेदन पत्र से सम्बन्धित सूचना चाही जा रही है। वह प्रार्थना पत्र सामान्य शाखा से प्राप्त नहीं होना बताया है तथा प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा भी कोई प्राप्ति रसीद उपलब्ध नहीं करवाई गई है। तहसीलदार (राजस्व), श्रीविजयनगर के कार्यलय में भी वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं है। उनके द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है। जिसकी सूचना भी प्रार्थी को [illegible] करवाई जा चुकी है। अतः प्रार्थी/अपीलार्थी की अपील खारिज [illegible] जावे।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:49 IST
Reason: SelfAttested

लोक सूचना अधिकारी
(प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा)
कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा श्रीगंगानगर ने उक्तानुसार अपील को जवाब प्रेषित किया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो** और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते**। सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। **इस प्रकार लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है, जिसमें किसी प्रकार के** हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा, कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें तथा अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। **पत्रावली** बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.03.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sourabh Swami
Date: 2023.05.19 17:17:49 IST
Reason: SelfAttested

(सौरभ स्वामी)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर